कार्यालय पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस-नोट

दिनांक- 16-08-2024

विषयः- शातिर सरिया चोर गिरफ्तार व 31 कि.ग्रा. लोहे की सरिया (छड़) बरामद ।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी महोदय द्वारा अपराधों की रोकथाम के मद्देनजर चोरी/लूट की घटनाओ के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के पर्यवेक्षण मे एवं सहायक पुलिस आयुक्त दशाश्वमेध व प्रभारी निरीक्षक चौक के नेतृत्व में थाना चौक पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0- 0080/2024 धारा- 305(ए), 62, 317(2) BNS थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी से संबंधित वांछित अभियुक्त बरकत अली पुत्र मुन्नवर अली निवासी कच्ची सराय दालमण्डी थाना चौक, वाराणसी उम्र 24 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा उसकी निशानदेही पर काशीपुरा के एक निर्मणाधीन मकान से 31 कि.ग्रा. लोह की सरिया के साथ दिनांक 15.08.2024 को समय 18.17 बजे गिरफ्तार किया गया । अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

घटना का विवरणः-

दिनांक 15.08.2024 को एक व्यक्ति द्वारा एक अभियुक्त बरकत अली पुत्र मुन्नवर अली निवासी कच्चीसराय दालमण्डी थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी उम्र 24 वर्ष को पकड़ कर थाना हाजा पर लाया गया तथा उक्त व्यक्ति द्वारा बताया गया कि अभियुक्त बरकत अली उपरोक्त के द्वारा मेरे निर्मणाधीन मकान सरिया चोरी कर रहा था हमलोगों ने इसको पकड़ लिया है पूर्व में भी मेरे निर्मणाधीन मकान से सरिया चोरी हुआ था तथा आवेदक द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त बरकत अली उपरोक्त से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त द्वारा बताया गया मैंने कई बार लोहे की सरिया चोरी किया गया है जिसकों मैंने काशीपुरा के निर्मणाधीन मकान में छुपा कर रखा है । अगर आप कहेगें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ । अभियुक्त की निशानदेही पर थाना स्थानीय की पुलिस काशीपुरा में छिपाये गये स्थान पर गयी जहाँ पर कुल 31 कि.ग्रा. लोहे की सरिया (छड़) बरामद किया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 80/2024 धारा- 305(ए), 62, 317(2) BNS बनाम बरकत अली पुत्र मुन्नवर अली निवासी कच्चीसराय दालमण्डी थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी उम्र 24 वर्ष पंजीकृत किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 80/24 धारा 305(ए), 62, 317(2) BNS थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी ।
2. मु0अ0सं0- 70/2019 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी ।

अभियुक्त का विवरणः-

1. बरकत अली पुत्र मुन्नवर अली निवासी कच्चीसराय दालमण्डी थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी उम्र 24 वर्ष ।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः- काशीपुरा के निर्माणाधीन मकान से दिनांक 15.08.2024 को

<u>बरामदगी का विवरण</u>:-

1. कुल 31 कि.ग्रा. लोहे की सरिया (छड़) बरामद किया गया।

<u>पूछताछ विवरण</u>:- पकड़े गये व्यक्ति से पूछताछ करने पर बताया कि मेरा नाम बरकत अली पुत्र मुन्नवर अली निवासी कच्चीसराय दालमण्डी थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी उम्र 24 वर्ष है । मैं आस पास के निर्मणाधीन मकान से सरिया चोरी करके उसको बेच देते है तथा उससे जो पैसा मिलता है उससे अपना खर्चा चलाते है।

<u>बरामद एवं गिरफ्तार करने वाली टीम</u>:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री विमल कुमार मिश्रा थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 श्री आदित्य कुमार राय थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी।
3. उ0नि0 श्री आलोक कुमार यादव थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी।
4. प्रशि0 उ0नि0 श्री मनीष सिंह थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी
5. का0 कुँवर बहादुर सिंह चौक कमिश्नरेट वाराणसी।
6. हे0का0 यशवन्त सिंह थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी।
7. का0 पुष्पेन्द्र कुमार थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त काशी जोन
कमिश्नरेट वाराणसी ।